न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–44 / 2014–15

निरंजन कुमार **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23-11-20	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद निरंजन कुमार, पिता–स्व0 हरिनंदन सिंह, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) बिक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 63 / 07 ग्राम–जीराखन टोला, व्यापुर पंचायत, मनेर, पटना द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक–1014(आ0) दिनांक–04.09.2014 के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–15 के आलोक में दिनांक–13.09.2014 को दायर किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक–18.09.2014 को अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुनकर वाद प्रतिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई तथा अगली तिथि 20.11.2014 को निर्धारित की गई। दिनांक–16.02.2017 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। दिनांक–01.02.2020 को उभय पक्ष उपस्थित हुए। अपीलकर्ता का कहना है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनेर द्वारा दिनांक–03.06.2014 को निरीक्षण के द्वारा निम्नांकित आरोप लगाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को प्रतिवेदन भेजा गया :– 1. सूचना पट्ट तथा भण्डार सह मूल्य प्रदर्शन पट्ट सही नहीं पाया जाना। 2. किरासन तेल का भण्डार पंजी, बिक्री–पंजी तथा कैशमेमों मांगने पर भी नहीं दिखाया जाना। 3. अंत्योदय तथा P.H.H खाद्यान्न का बिक्री पंजी सही ढंग से संधारित नहीं पाया जाना। 4. माह मार्च, 2014 का अंत्योदय योजना का बिक्री तथा कैशमेमो मांगने पर नहीं दिखाया जाना। 5. B.P.L खाद्यान्न का भण्डार पंजी, बिक्री पंजी तथा कैशमेमों नहीं दिखाया जाना। 6. दुकान के युनिट पंजी तथा माप तौल का रसीद नहीं पाया जाना। 7. किरासन तेल वितरण पौने तीन लीटर के जगह 2.5 लीटर निर्धारित मूल्य से अधिक पर किया जाना। 8. अंत्योदय खाद्यान्न 35 किलो के जगह पर 25 किलो निर्धारित मूल्य से अधिक पर किया जाना। 9. B.P.L खाद्यान्न 25 किलो के जगह पर 20 किलो निर्धारित मूल्य से अधिक पर किया जाना। 10. P.H.H खाद्यान्न प्रति व्यक्ति 5 किलो के जगह 4 किलो तथा उससे भी कम एवं निर्धारित मूल्य से अधिक किया जाना। 11. उपभोक्ताओं के साथ भी अमर्यादित व्यवहार रहना। 12. उपभोक्ताओं को कैश मेमों नहीं दिया जाना।	991 19-12-20

13. B.P.L खाद्यान्न माह दिसम्बर–13 का गेहूँ का उठाव कर वितरण नहीं कर कालाबाजारी किया जाना।

उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के पत्र सं0 768/आ0 दिनांक–14.07.2014 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। अपीलार्थी द्वारा उत्तर दिया गया कि उनके द्वारा दुकान समय पर हीं खोला एवं बंद किया जाता है। भण्डार सह मूल्य प्रदर्शन पट्ट सही ढंग से बना था लेकिन सूचना–पट्ट खराब हो गया था जिसके कारण पुराना वाला टांग दिया था। अब नया बन गया है जिसे टांग दिया गया। किरासन तेल एवं खाद्यान्न बिक्री पंजी, भण्डार–पंजी एवं कैश मेमों एक साथ हीं होता है, परन्तु अकेला रहने के कारण संधारित नहीं कर पाया। अंत्योदय एवं B.P.L खाद्यान्न का वितरण करते हुए जांच पदाधिकारी द्वारा देखा गया तथा मार्गदर्शन भी दिया गया कि गलत प्रविष्टि हो रही है तो उसे सुधार कर दिया गया। भीड़ रहने के कारण अंत्योदय एवं B.P.L का पंजी मार्च–2014 का नहीं दिखाया जा सका। निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेने की बात वैसे व्यक्ति करते हैं जो हमारे उपभोक्ता नहीं है। निर्धारित दर एवं मात्रा में अनुदानित किरासन तेल एवं खाद्यान्न का आपूर्ति किया जाता है।

अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा स्पष्टीकरण के उत्तर पर बिना विचार किये हीं अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि निरंजन कुमार, पंचायत ब्यापुर मनेर अनुज्ञप्ति सं0 63/07 की जन वितरण प्रणाली दुकान में जांच के दौरान अनेकों त्रुटियाँ पायी गई। उपभोक्ताओं को निर्धारित दर से कम आपूर्ति करना तथा कैशमेमों, भण्डार–पंजी एवं बिक्री–पंजी को जांच के दौरान जांच पदाधिकारी को नहीं दिखाया जाना गम्भीर आरोप हैं। साथ ही उनके विरूद्ध लगाए गए आरोप कि निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है तथा अनुज्ञा–पत्र के शर्तो का पालन न करते हुए भण्डार पंजी एवं बिक्री–पंजी का संधारण सही ढंग से किया जाता है, उपभोक्ताओं को कैशमेमों नहीं दिया जाता है आदि, के सम्बन्ध में इनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण भी संतोषप्रद नहीं है।

अतः निम्न न्यायालय के अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्पष्टीकरण पर विचार कर आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील आवेदन खारिज करने योग्य है। तदनुसार, अपील आवेदन दिनांक–13.09.2014 को खारिज करते हुए, वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

23/11/20

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

28/11/20

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।